

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(56)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक :

26.3.2018

स्वीकृति संख्या:- 897/2017-18

कोषाधिकारी,  
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में राशि रुपये 266.25 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5अभि./सीटीएडी/30 छात्रावास क्षमता/2017-18 स्वीकृति सं. 69/2017-18 दिनांक 28.02.2018 में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में राशि रुपये 266.25 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना,

(20)- जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)


[29]- छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य

17- वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रू. 266.25 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।


भवदीय,

  
(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग जयपुर।
- 4 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (IFMS) NIC सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बजट मद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जारी साख सीमा में से स्वीकृति अनुसार रुपये 246.25 लाख प्रत्याहारित कर संबंधित BCO को IFMS के माध्यम से उपलब्ध कराने का श्रम करे।
- 5 संयुक्त निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
- 6 अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
- 7 वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग (फ़ा.नि.वि.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बजट मद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जारी साख सीमा में से स्वीकृति अनुसार रुपये 246.25 लाख प्रत्याहारित कर संबंधित BCO को IFMS के माध्यम से उपलब्ध कराने का श्रम करे।
- 8 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग
- 9 रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक, वित्त (बजट)